



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-5857/MH/578/2025-RO-BH/RU-I

दिनांक: 06.05.2026

जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट,
जिला-मुंबई-उपनगर,
कलेक्टर कार्यालय, मुंबई उपनगरीय जिला,
प्रशासनिक भवन, 10वीं मंजिल, सरकारी कॉलोनी,
चेतना कॉलेज के सामने, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई-400 051, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.mumbaisuburb@maharashtra.gov.in

पुलिस आयुक्त, मुंबई,
महाराष्ट्र सरकार,
पुलिस आयुक्त का कार्यालय,
डी. एन रोड, क्रॉफर्ड मार्केट के सामने,
मुंबई, महाराष्ट्र 400001
ई-मेल: cp.mumbai@mahapolice.gov.in
dcpzone5-mum@mahapolice.gov.in

आयुक्त,
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी),
द्वितीय तल, पुरानी बिल्डिंग,
बीएमसी मुख्यालय, महानगरपालिका मार्ग,
मुंबई-400001, महाराष्ट्र
ई-मेल आईडी: mc@mcgm.gov.in

विषय: सर्वे नं 325/6 बोरिवली जिला मुंबई उपनगर की जमीन वारिस श्रीमती गीता अहाडे की नाम पर किए जाने के संबंध में - श्रीमती गीता अहाडे, गिरिज तलाव, नारदोली, नवापाड़ा, गिरिज बेसिन ठाणे, वसई (महाराष्ट्र) से प्राप्त अभ्यावेदन।
संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 03.09.2025 एवं 20.01.2026 (प्रति संलग्न)।

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 18.05.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011-20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्रीमती गीता अहाडे,
गिरिज तलाव, नारदोली,
नवापाड़ा, गिरिज बेसिन ठाणे, वसई, महाराष्ट्र-401201
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में
आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।



ई मेल /e-mail : ro-bhopal@ncst.nic.in

टेलीफैक्स/Telefax : 0755 2576530

0755 2578272

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission For Scheduled Tribes

भारत सरकार

Government of India

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court Under Article 338A of the Constitution of India)
(मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिये क्षेत्रीय कार्यालय)
(REGIONAL OFFICE FOR M.P. MAHARASHTRA, KARNATAKA, KERALA, GOA, DADRA & NAGAR HAVELI AND LAKSHADWEEP)
कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011
Room No. 309, Nirman Sadan, C.G.O. Bldg., 52-A, Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal - 462011

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-5857/MH/578/2025-RO-BH/RU-I

दिनांक: 20/01/2026

1. पुलिस आयुक्त मुंबई

पुलिस आयुक्त का कार्यालय,,
मुख्य भवन, प्रथम तल,
कॉम्प. डॉ. डी एन रोड, फोर्ट,
मुंबई, महाराष्ट्र 400001
Email Id: cp.mumbai@mahapolice.gov.in
Tel. No: 9870744000

2. आयुक्त

बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुख्यालय,
मुंबई छत्रपती शिवाजी टर्मिनस,
मुंबई, महाराष्ट्र 400001

विषय: सर्वे नं 325/6 बोरिवली जिला मुंबई उपनगर की जमीन वारिस श्रीमती गीता अहाडे की नाम पर किए जाने के संबंध में -
श्रीमती गीता अहाडे, गिरिज तलाव, नारदोली, नवापाड़ा, गिरिज बेसिन ठाणे, वसई (महाराष्ट्र) से प्राप्त अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्रीमती गीता अहाडे से दिनांक 26/08/2025 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।

etc

(अंकित कुमार सेन/Ankit Kumar Sen)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्रीमती गीता अहाडे,
गिरीज लेक, नरडोली, नवापाड़ा,
गिरीज बेसिन, थाने वसई, महाराष्ट्र
Mobile No:9930384149

कार्यालय निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित
जनजाति आयोग भोपाल
Office of the Director, National
Commission for Sch. Tribes, Bhopal
वेबसाइट संख्या / Issue No. 50/51/52
दिनांक / Date 20/01/26



ई मेल / e-mail : ro-bhopal@ncst.nic.in
टेलीफैक्स/Telefax : 0755 2576530
0755 2578272

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission For Scheduled Tribes
भारत सरकार
Government of India

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court Under Article 338A of the Constitution of India)
(मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्ल, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के लिये क्षेत्रीय कार्यालय)
(REGIONAL OFFICE FOR M.P. MAHARASHTRA, KARNATAKA, KERALA, GOA, DADRA & NAGAR HAVELI AND LAKSHADWEEP)
कमरा नं. 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011
Room No. 309, Nirman Sadan, C.G.O. Bldg., 52-A, Arera Hills, Hoshangabad Road, Bhopal - 462011

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-5857/MH/578/2025-RO-BH/RU-I

दिनांक: 03/09/2025

1. कलेक्टर एवं जिलाधिकारी
जिलाधिकारी कार्यालय,
मुंबई उपनगर,
10 वा तल, प्रशासकीय इमारत,
चेतना कॉलेज जवळ,
शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व),
मुंबई उपनगर, महाराष्ट्र- 400051

विषय: सर्वे नं 325/6 बोरिवली जिला मुंबई उपनगर की जमीन वारिस श्रीमती गीता अहाडे की नाम पर किए जाने के संबंध में -
श्रीमती गीता अहाडे, गिरिज तलाव, नारदोली, नवापाड़ा, गिरिज बेसिन ठाणे, वसई (महाराष्ट्र) से प्राप्त अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्रीमती गीता अहाडे से दिनांक 26/08/2025 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।


(अंकित कुमार सेन/Ankit Kumar Sen)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्रीमती गीता अहाडे,
गिरीज लेक, नरदोली,
नवापाड़ा, गिरीज बेसिन,
थाने वसई, महाराष्ट्र,
Mobile No:9930384149

OIC

कार्यालय निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित
जनजाति आयोग भोपाल
Office of the Director, National
Commission for Scheduled Tribes, Bhopal
प्रमाण संख्या/Serial No. 1485/86
दिनांक/Date 03/09/25